न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 69/2021

उनवानः– धनसिंह बनाम पृथ्वीराज वगै0

14/8/24 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित आराजीयात सायलान की खातेदारी व कब्जे की आराजी है। सायलान का भाई रामकेश पुत्र भम्बल लाऔलाद फौत हो जाने से मृतक रामकेश की आराजीयात के कायम मुकाम वारिस सायलान है। जो रामकेश के तर्के पर काबिज है। वर्णित आराजीयात के पास गैरसायालन की है जिसमे गैरसायलान द्वारा पुख्ता निर्माण कर लिया और गेरसायलान द्वारा जबरन सायलान की खडी फसल को खराब कर जबरन रास्ता निकालने पर आमदा है, और सायलान के साथ झगडा करते रहते है। गैरसायलान का ख0न0 639 मे मकान को जाने हेतु जबरन रास्ता बनाने के लिए सायलान की भूमि ख0न0 640 के मध्य मे ट्रेक्टर से लाल मोहरम डालकर जबरन रास्ता बनाने लग गये। व गैरसायलान मोहरम को हटाने से इन्कार कर दिया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है। गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। अत न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.09.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे होकर गैरसायलान की रहवास पुख्ता मकान का रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है। वर्णित आराजीयात सायलान की नही है बल्कि मृतक रामकेश की है उसके जमाने से ही गैरसायलान उपयोग उपभोग करते आ रहे है। ख0न0 640 रकवा 0.16 है0 मे होकर गैरसायलान का आम रास्ता मुख्य सडक तक जाने को है। इसके अलावा कोई रास्ता नही है। इस कारण गैरसायलान को ख0न0 640 से निकलने मे व्यवधान नही करे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे से दो खसरा नम्बरान मे होकर गैरसायलान के मकान का ख0न0 639 का रास्ता है, जो कि जमाने बुजुर्गान से है। इसके अलावा गैरसायलान को मकान मे आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.09.2021 को खारिज करते हुये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम कंवरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 115 मे कुल किता 5 कुल रकवा 0.48 है0 मे सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान ने जबाब व बहस मे कथन किया है कि गैरसायलान की आराजी ख0न0 639 को जाने के लिए ख0न0 640 जो कि सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है से रास्ते को नही रोके जाने का किया है। ख0न0 640 सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.09.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात [illegible] को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता [illegible] कि [illegible] कंवरपुरा की आराजी ख0न0 605/0.06, 613/1/0.05, 640/0.16, [illegible]/1/0.13, 660/1/0.08 कुल किता 5 कुल रकवा 0.48 है0 मे निर्माण [illegible] करे व कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested